

24



न्यायालय म०न०राजस्व मण्डल,म०प्र०ग्वालियर

प्र०क०

-एक/2017 निगरानी

8197-3-12

571.41. न्यायिक (3)  
16-3-17  
16-3-17

1- मेघराज, बलवीर, साहव सिंह  
पुत्रगण चंदनसिंह लोधी  
श्रीमती पुख्रो पत्नि चंदन सिंह लोधी  
3- उत्तरा पुत्री चंदन सिंह लोधी  
सभी ग्राम मछवली तहसील करैरा  
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश  
विरुद्ध

---आवेदकगण

- 1- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी
- 2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी
- 3- हरको उर्फ हरकुंवर पत्नि सोनपाल  
जाति बाढई ग्राम मछवली  
तहसील करैरा जिला शिवपुरी
- 4- श्रीमती रामसखी पुत्री सोनपाल  
पत्नि बीरसिंह बाढई ग्राम हिडोरा  
तहसील बड़ौनी जिला दतिया म०प्र०

---असल अनावेदक

---तरतीवी अनावेदक

9/16  
G.P. Nayar  
Adv.  
16-3-17

16/3/17

( निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/2016-17 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 10-3-17 के विरुद्ध)

3

कृ०पृ०३०---२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-897-एक/2017

जिला-शिवपुरी

मेघराज, बलवीर, साहब सिंह आदि विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-04-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक एवं अनावेदक क्र. 1 शासन व शेष अनावेदक की ओर से श्री एस.पी. घाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला-शिवपुरी के प्र. क्र. 107/2016-17/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 10-03-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-06-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0क0 जैन) सदस्य 25/4/19</p>